



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11122020-223657
CG-DL-E-11122020-223657

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3970]
No. 3970]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 11, 2020/अग्रहायण 20, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 11, 2020/AGRAHAYANA 20, 1942

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2020

सं. 111/2020-सीमाशुल्क (गै.टे.)

का. आ. 4517(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उप-धारा (1) के उप-वाक्य (ख) और (ग) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 63/1994-सीमाशुल्क (गै. टे.), जिसे सा. का. नि. 830(अ), दिनांक 21 नवंबर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में. -

(i) प्रारम्भिक पैराग्राफ में,

(क) चौथे परंतुक के, “बालट, कलाइचर, श्रीनगर और कमलासागर” शब्दों के स्थान पर “बलात, कलाइचर, श्रीनगर, कमलासागर, भोलागंज, नालीकाटा और रींक्यू” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) पांचवें परंतुक के प्रारम्भिक पैराग्राफ में “नागरकाटा को केवल अदरक, संतरा और इलाइची और... के आयात के लिये लैंड कस्टम्स स्टेशन नियुक्त किया गया है” शब्दों को निरसित कर दिया जाएगा।

(ii) सारणी में,-

(क) बांग्लादेश भू-सीमांत से संबन्धित क्रम संख्या 2 के समक्ष, कालम (4) में, कालम (3) के मद (23) की तत्संबंधी प्रविष्टि में, प्रविष्टि (ज) के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा : -

(1)	(2)	(3)	(4)
			“(i) भारत के ईस्ट खासी हिल्स जिले के भोलगंज बार्डर हाट से बांग्लादेश के सिल्हट जिले के कंपनीगंज उप-जिला के भोलागंज तक बार्डर पिलर संख्या 1246/2-S और 1251-MP के बीच जीरो लाइन पर”.

(ख) बांग्लादेश के भू-सीमांत से संबन्धित क्रम संख्या 2 के समक्ष, कालम (4) में, कालम (3) के मद (25) की प्रविष्टि के समक्ष, प्रविष्टि (ख) के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)
			“(ग) भारत के ईस्ट खासी हिल्स जिले के रींक्यू बार्डर हाट से बांग्लादेश के सुनामगंज जिले के दुयारा बाजार उप-जिला के बागांबाड़ी तक, पिलर संख्या 1227/1-T और 1227/1-S के बीच जीरो लाइन पर”.

(ग) बांग्लादेश के भू-सीमांत संबंधी क्रम संख्या 2 के समक्ष, कालम (3) के मद (31) के समक्ष कालम(4) में निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)
			(क) गंगा पार औरंगाबाद होते हुये धूलियाँ से बांग्लादेश तक नदी के मार्ग से; और
			(ख) बांग्लादेश और भारत के बीच हुए अंतर्देशीय जल परिवहन और व्यापार नयाचार के अनुसार, भारत के धूलियाँ से बांग्लादेश को जोड़ने वाला नदी मार्ग।

(घ) बांग्लादेश के भू-सीमांत संबंधी क्रम संख्या 2 के समक्ष, कालम (3) के मद (57) के पश्चात और उससे संबन्धित प्रविष्टि के समक्ष कालम (4) में निम्नलिखित प्रविष्टि को क्रमशः कालम (3) और (4) में अन्तःस्थापित किया जाएगा यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)
	(58) मेघालय के साउथ वेस्ट खासी हिल्स जिले के नालिकाटा।	भारत के साउथ वेस्ट खासी हिल्स जिले के नालिकाटा बार्डर हाट से बांग्लादेश के सुनाम गंज जिले के ताहिरपुर उप-जिला तक, बार्डर पिलर संख्या 1203/7-S और 1203/8-S के बीच जीरो लाइन पर	
	(59) पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के कोलाघाट।	बांग्लादेश और भारत के बीच हुए अंतर्देशीय जल परिवहन और व्यापार नयाचार के अनुसार, भारत के कोलाघाट से बांग्लादेश को जोड़ने वाला नदी मार्ग।	
	(60) असम के बोंगाई गाँव जिले के जोगीघोपा।	बांग्लादेश और भारत के बीच हुए अंतर्देशीय जल परिवहन और व्यापार नयाचार के अनुसार, भारत के जोगीघोपा से बांग्लादेश को जोड़ने वाला नदी मार्ग।	

(61) असम के करीम गंज बांग्लादेश और भारत के बीच हुए अंतर्देशीय जल परिवहन और व्यापार नयाचार के अनुसार, भारत के बदरपुर से बांग्लादेश को जोड़ने वाला नदी मार्ग।

(ड) नेपाल के भू-सीमान्त संबंधी क्रम संख्या 6 के समक्ष, कालम (3) में मद संख्या (10) के तदनुरूपी कालम (4) में प्रविष्टि (ख) के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)
			“(ग) नेपाल के कुर्या को भारत के जयनगर को जोड़ने वाला रेल मार्ग”

[फ़ा. सं. 484/51/2019-(एल सी)]

बुलो मामु, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना को सा.का.नि. 830(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में दिनांक 21 नवम्बर, 1994 को प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 101/2020-सीमाशुल्क(गै.टे.), दिनांक 16 अक्तूबर, 2020, जिसे सा.का.नि. 3640(अ), दिनांक 16 अक्तूबर, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2020

No. 111/2020- Customs (N.T.)

S.O. 4517(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (1) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 63/1994-Customs (N.T.) dated the 21st November, 1994, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 830 (E), dated the 21st November, 1994, namely: —

In the said notification,—

(i) in the opening paragraph, -

- (a) in the fourth proviso, for the words “Balat, Kalaichar, Srinagar and Kamalasagar”, the words “Balat, Kalaichar, Srinagar, Kamalasagar, Bholaganj, Nalikata and Ryngku” shall be substituted;
- (b) in the fifth proviso, the words “Nagarkata is appointed as Land Customs Station only for the import of Ginger, Orange and Cardamom and”, shall be omitted;

(ii) in the TABLE, -

- (a) against serial number 2 relating to land frontier of Bangladesh, in column (4) corresponding to item (23) in column (3), after entry (h), the following entry shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
			(i) Bholaganj Border Haat at East Khasi Hills district in India to Bholaganj in Companiganj Upzila of Sylhet district in Bangladesh, at zero line between Border Pillar No. 1246/2-S and 1251-MP.

- (b) against serial number 2 relating to land frontier of Bangladesh, in column (4) corresponding to item (25) in column (3), after entry (b), the following entry shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
			(c) Ryngku Border Haat at East Khasi Hills in India to Bagan Bari in Duara Bazar Upzila of Sunamganj district in Bangladesh, at zero line between Border Pillar No. 1227/1-T and 1227/1-S.
	(c)	against serial number 2 relating to land frontier of Bangladesh, for column (4) corresponding to item (31) in column (3), the following entries shall be substituted, namely: -	
(1)	(2)	(3)	(4)
			(a) River line route from Dhulian to Bangladesh via Aurangabad across the Ganges; and
			(b) The river route as per the Protocol on Inland Water Transit and Trade between India and Bangladesh connecting Dhulian in India to Bangladesh.
	(d)	against serial number 2 relating to land frontier of Bangladesh, in column (3) after item (57) and the corresponding entry relating thereto in column (4), the following entries in columns (3) and (4) shall respectively be inserted, namely: -	
(1)	(2)	(3)	(4)
		(58) Nalikata in South West Khasi Hills district, Meghalaya.	Nalikata Border Haat at South West Khasi Hills district in India to Saydabad in Tahirpur Upzila of Sunamganj district in Bangladesh, at zero line between Border Pillar No.1203/7-S and 1203/8-S.
		(59) Kolaghat in Purba Medinipur district, West Bengal.	The river route as per the Protocol on Inland Water Transit and Trade between India and Bangladesh connecting Kolaghat in India to Bangladesh.
		(60) Jogighopa in Bongaigaon district, Assam.	The river route as per the Protocol on Inland Water Transit and Trade between India and Bangladesh connecting Jogighopa in India to Bangladesh.
		(61) Badarpur in Karimganj district, Assam.	The river route as per the Protocol on Inland Water Transit and Trade between India and Bangladesh connecting Badarpur in India to Bangladesh.
	(e)	against serial number 6 relating to land frontier of Nepal, in column (4) corresponding to item (10) in column (3), after entry (b), the following entry shall be inserted, namely: -	
(1)	(2)	(3)	(4)
			(c) The rail route connecting Jayanagar in India and Kurtha in Nepal.

[F.No. 484/51/2019-(LC)]

BULLO MAMU, Under Secy.

Note: The principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number S.O. 830(E), dated the 21st November, 1994 and was last amended *vide* Notification No. 101/2020-Customs (N.T.), dated the 16th October, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 3640 (E), dated the 16th October, 2020.